न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 325/2018

वादी :–
1–भागीरथ पुत्र जवाहरराम जाति मेघवाल
निवासी मोरियाना तहसील रियांबड़ी जिला नागौर
प्रतिवादीगण :–
1–भंवरी पत्नी श्री जवाहरराम जाति मेघवाल
निवासी मोरियाना तहसीलदार रियांबड़ी
2–तहसीलदार रियांबड़ी
3–पटवारी हल्का मोड़ीकलां तह.रियांबड़ी।

दावा बाबत घोषणा खातेदारी अंतर्गत धार 88 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांक :–27/3/24

वादी की ओर से निम्नलिखित वाद पेश है :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। सभी हिन्दु हैतथा हिन्दु विधि की मिताक्षरा शाखा से गर्वन होते है। जिनका सिजरा खानदान निम्न प्रकार है :–

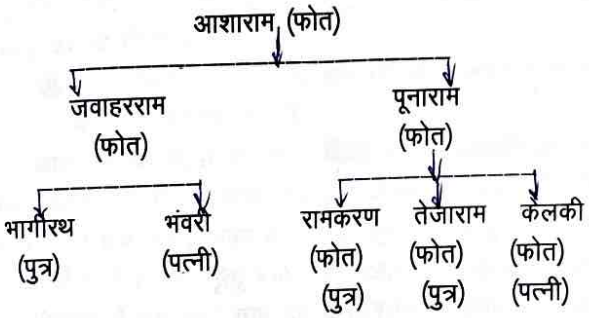

2–यह है कि मौजा मोरियाना के खसरा नंबर 657 रकबा 1.6200 हैक्टर की भूमि स्थित है। जो रामकरण पुत्र पुनाराम,केलकी बेवा पूनाराम की खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा की भूमि वाद मे आगे विवादित खसरान के नाम से सम्बोधित की जायेगी।

3–यह है कि वादग्रस्त आराजी खसरान की भूमि पूर्व में वादी के दादा आशाराम जी की काश्त व कब्जासुद थी। आशाराम जी के दो पुत्र वादी के पिता जवाहरराम व पूनाराम थे। पूनाराम जी के दो पुत्र रामकरण व तेजाराम हुवे। रामकरण व तेजाराम के जन्म के बाद पूनाराम का देहान्त हो गया। जिससे पूनाराम की पत्नी केलकी ने ग्राम कुलियाना निवासी कानाराम के साथ नाता विवाह किया। जिससे रामकरण व तेजाराम वादी एंव उसके पिता के परिवार के साथ रहे। मगर खातेदारी में केलकी का नाम चलता रहा। रामकरण व तेजाराम का देहान्त हो गया तथा उनके कोई संतान नहीं है तथा केलकी का भी स्वर्गवास हो गया। जिससे पूनाराम जी के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी केवल मात्र वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 ही है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरा की भूमि वादी एंव प्रतिवादीनी संख्या 1 को उतराधिकर में प्राप्त हुई जो वादी एंव प्रतिवादीनी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 की पैतृक भूमि है।

4–यह है कि वादग्रस्त खसरान वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। जिसमें वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 को समान रू॰ से हक व अधिकार प्राप्त है। तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 का 1/2–1/2 हिस्सा शामलाती है। तथा इसी अनुसार

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

सहूलियत से काश्त व काबिज है। इसलिए वादग्रस्त खसरा में वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 प्रत्येक का 1/2–1/2 हिस्सा संयुक्त खातेदारी का काश्त व कब्जासुद घोषित किया जावें। तथा वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 का राजस्व रेकर्ड में अलग से नाम अमल दरामद कर खातेदारी दर्ज की जावें। जिस हेतू वाद पेश है।

5–यह है कि वाद कारण इस कदर पैदा हुआ कि प्रतिवादी सख्या 2 व 3 ने रामकरण व केलकी के स्थान पर वादी व प्रतिवादीनी संख्या1 के नाम राजस्व रेकार्ड में उतराधिकारी नामान्तकरण भरने से मना किया गया।

6–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि वादी का वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्नलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें :–

ए. यह है कि ग्राम मोरियाना की सरहद में स्थित खसरा नंबर 657 रकबा 1.6200 हैक्टर की भूम वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद घोषित किया जावें तथा रामकरण व केलकी के स्थान पर वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद किया जावें।

बी. यह है कि अन्य जो भी प्रार्थना वादी के हक में हो,सादिर फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के जबाब बाबत तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील अर्जुनपुरी गौस्वामी ने जबाब दावा व वकालतनामा पेश किया गया। वकील वादी ने शहादत वादी भागीरथ के बयान करवाये गये। तथा प्रदर्श 1 से प्रदर्श 7 अपने वाद के समर्थन में पेश किये गये। प्रतिवादी वकील ने अपने जबाब दावा में वाद को स्वीकार कर लेने से जिरह नहीं की गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 की काश्त व कब्जासुद है। खातेदार रामकरण व केलकी की मृत्यु हो चूकी है और उनके प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 ही है। इसलिए वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 ने नाम रामकरण व केलकी स्थान पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के वाद को अपने जबाब दावा में स्वीकार किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि वादग्रस्त खसरा की भूमि रामकरण व केलकी के नाम खातेदारी में दर्ज है। जिनका देहान्त हो चूका है। मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है। वादी ने अपने पक्ष में प्रदर्श 1 से 7 यथा मृत्यु प्रमाण पत्र राशन कार्ड शपथ पत्र इत्यादि पेश किये गये।

समस्त विवेचन से यह पाया गया कि जवाहरराम व पूनाराम दो भाई थे। जिनमें पूनाराम के दो लड़के रामकरण व तेजाराम थे जो नावल्द फोत हो गये। केलकी जो वादी की बड़ीमाता थी जिनका भी देहान्त हो चूका है। जवाहरराम के वादी व उनकी माता भंवरी ही जीवित रहे। जो रामकरण व तेजाराम के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी है। प्रथम दृष्टि से वादग्रस्त आराजी में उनका है। भूमि पैतृक है वादी व प्रतिवादीनी का काश्त व कब्जा है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नप्रकार से खातेदारी की घोषणा की जाती है कि :–

" मौजा मोरियाना की सरहद में स्थित खसरा नंबर 657 रकबा 1.6200 हैक्टर की भूमि में केलकी पत्नी रामकरण व रामकरण पुत्र पूनाराम के स्थान पर वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम से खातेदारी की घोषणा की जाती है।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीनी संख्या 1 के नाम खातेदारी का ईन्द्राज राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हों। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर